न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/223

कैलाश चन्द आयु 62 वर्ष आत्मज श्री रामचन्द्र जाति महाजन निवासी ग्राम दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रतन लाल आत्मज गोपीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम टोडा का गोठडा हाल निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. महावीर
3. सुरेश
4. चन्द्रप्रकाश
5. नरेन्द्र कुमार पिसरान श्री रतन लाल जातियान महाजन निवासी बून्दी का गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. श्रीमती सुशीला पत्नी श्री मोहनलाल जाति महाजन निवासी खानपुर हाल निवासी ग्राम दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. रामचन्द्र आत्मज धूलीलाल जाति महाजन जैन निवासी ग्राम दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 7/1. श्रीमती कमला बाई पुत्री श्री रामचन्द्र पत्नी श्री विनोद जैन निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक ।
   - 7/2. श्रीमती लाड बाई पुत्र श्री रामचन्द्र पत्नी श्री योगेन्द्र जैन जाति जैन निवासी नगर फोट जिला टोंक ।
   - 7/3. श्रीमती रनत बाई विधवा श्री रामचन्द्र जाति जैन निवासी दबलाना तहसील हिण्डो जिला बून्दी ।
   - 7/4. श्री सम्पत जैन पुत्र श्री रामचन्द्र जी जैन जाति जैन निवासी गायत्री नगर बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
8. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री कैलाश नामधराणी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 30.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दबलाना तहसील हिण्डोली में आराजी खसरा नम्बर 539 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 540 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 542 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 545 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 546 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1527 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 1528 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 1539 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1541 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1542 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1544 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1545 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 12 रकबा 30 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 3 वादी के पिता व श्री चौथमल आत्मज श्री धूलीलाल के संयुक्त खाते व कब्जे की भूमि है । प्रतिवादी क्रम 1 व 2 चौथमल जी की लडकियॉ हैं । श्री चौथमल जी का वर्ष 1998 में स्वर्गवास हो चुका है । स्वर्गीय चौथमल ने उक्त वर्णित कृषि भूमि में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्से को व अन्य सम्पत्ति को दिनांक 02.07.1997 को वादी के पक्ष में वसीयत कर दिया । चौथमल के सम्पूर्ण हिस्से का मालिक वादी है और बहैसियत खातेदार उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आराजी खसरा नम्बर 546 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1527 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 1528 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा पर जबरन व अनाधिकृत रूप से कब्जा करना चाहती हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में अंकित श्री चौथमल के नाम के स्थान पर वादी का नाम अंकित किया जावे तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह आराजी खसरा नम्बर 546 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1527 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 1528 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा पर जबरन व अनाधिकृत रूप से कब्जा नहीं करे न ही उक्त कृत्य अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.06.2015 को राजस्व लोक अदालत के लिए पेशी नियत की गई । पक्षकारों में राजीनामा नहीं हुआ तथा रेस्पोडेन्ट श्रीमती सुशीला जैन के अतिरिक्त अन्य रेस्पोडेन्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अधिकार घोषणा का दावा

वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था । दावा साक्ष्य वादी में लम्बित था और प्रतिवादी की आरे से प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी बहस सुने जाने के लिए प्रकरण लम्बित था । इसी दौरान उक्त वाद को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी एवं प्रतिवादी सुशीला उपस्थित हुए हैं अन्य कोई उपस्थित नहीं हुए क्योंकि पक्षकारान के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया । राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निरस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी पैतृक है जिसमें वसीयत के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी नहीं दी जा सकती । वादी का वादा मेन्टेनेबल नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी और प्रतिवादी कम 2 उपस्थित हुए शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान द्वारा विधिक रूप से राजीनामा पेश किया हो । इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए दावे एवं दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करना आवश्यकता होता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर अन्दर 06 माह विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि दिनांक 21.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 30.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30.11.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा